डायरी सं0 4571 / मु0अ0 (सू0प्र0सं0)
दिनांक 14.11.16

डायरी संख्या 4651 / क0के0सि0वि0
दिनांक 14/11/16 लखनऊ

कार्यालय प्रमुख अभियंता
(अधिष्ठान-2 अनुभाग)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश

पत्रांकःजी-488/ई-2/ लखनऊः दिनांक : 21 अक्टूबर, 2016

विषयः ज्येष्ठता सूची परिचालित किए जाने के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियंता (स्तर-2) ISO सिंचाई एवं ज0सं0विभाग,

अवगत कराना है कि शासकीय ज्ञाप संख्याः205/सत्ताईस-13-2016- 3निया/2013, दिनांक 18.10.16 द्वारा "शासकीय कार्यालय ज्ञाप संख्याः2642/सत्ताईस-1-2016-3निया/13, दिनांक 28.07.16 द्वारा प्रख्यापित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को निरस्त करते हुए कार्यालय ज्ञाप संख्याः942/सत्ताईस-1-2014-324/2001, दिनांक 04.03.14 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्याः1998/सत्ताईस-1-2014-324/2001, दिनांक 27.05.14 द्वारा प्रख्यापित अन्तिम ज्येष्ठता सूची को पूर्ववत बहाल किया गया है।"

अतः शासकीय ज्ञाप संख्याः 205/सत्ताईस-13-2016-3निया/2013, दिनांक 18.10.16 की छायाप्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया उक्त शासकीय पत्र को अपने स्तर से अपने अधीनस्थ कार्यालय को परिचालित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(कुलदीप श्रीवास्तव)
अधिशासी अभियंता (ई-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता, सिं0एवं ज0सं0वि0

पत्रांकःजी-488(1)/ई-2/तदिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1 उप सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-13, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को शासकीय ज्ञाप संख्याः205/सत्ताईस-13-2016- 3निया/2013, दिनांक 18.10.16 के संदर्भ में।
2 अधीक्षण अभियंता, कम्प्यूटर केन्द्र, कार्यालय प्रमुख अभियंता,सिंचाई एवं ज0सं0विभाग, लखनऊ को शासकीय कार्यालय ज्ञाप संख्याः205/सत्ताईस-13-2016-3निया/2013, दिनांक 18.10.16 की छायाप्रति इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त शासकीय पत्र को वेब साइट पर अपलोड कर करने का कष्ट करें।

(कुलदीप श्रीवास्तव)
अधिशासी अभियंता (ई-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता, सिं0एवं ज0सं0वि0

मुख्य अभियन्ता
सूचना प्रणाली संगठन
सिं0वि0, उ0प्र0, लखनऊ

श्री अजय, क-सहा

16.12.16

आ-498/इ-2
20/10/16

उत्तर प्रदेश शासन
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-13
संख्या- 205 /सत्ताईस-13-2016-3निया/2013
लखनऊः दिनॉकः 18 अक्टूबर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

निर्देश याचिका सं0-144/2013 सुमन कुमार उपाध्याय बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.02.2013 तथा उक्त आदेश के कम में मा0 अधिकरण के समक्ष योजित अवमानना याचिका सं0-379/2013 में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.05.2015 एवं निर्देश याचिका सं0-202/2013 अरूण कुमार बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.09.2013 के अनुपालन में निर्देश याचिका सं0-144/2013 तथा निर्देश याचिका सं0-202/2013 के याचीगण सहित 29 डिग्रीधारी कोटे के सहायक अभियन्ताओं की कार्यालय-ज्ञाप सं0-942/सत्ताईस-1-2014-324/2001, दिनांक 04.03.2014 तथा कार्यालय-ज्ञाप सं0-1998/सत्ताईस-1-2014-324/2001, दिनांक 27.05.2014 द्वारा पूर्व निर्धारित अंतिम ज्येष्ठता सूची को निरस्त करते हुए उनकी पोषक संवर्ग की ज्येष्ठता के अनुसार पुनः अनन्तिम ज्येष्ठता सूची शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2642/सत्ताईस-1-2016-3निया/2013 दिनांक 28.07.2016 द्वारा निर्गत करते हुए उक्त ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में 07 कार्य दिवस के अन्तर्गत आपत्तियॉ आमंत्रित की गई थी।

2- उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 28.07.2016 पर श्री रूप सिंह यादव, श्री नन्दीश्वर जैन, श्री पी0के0 सत्संगी, श्री रमाशंकर, श्री राकेश कुमार जैन, श्री सैयद फिरोज अख्तर रिजवी, श्री प्रेम प्रकाश चौधरी एवं कृष्ण चन्द्र तिवारी द्वारा मुख्यतः यह आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची पोषक संवर्ग की वरिष्ठता के अनुसार नहीं है तथा पोषक संवर्ग में उनसे कनिष्ठ अभियन्ताओं को उनसे ऊपर वरिष्ठता प्रदान की गई है।

3- प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई हेतु श्री योगेश्वर मिश्र, विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग तथा श्री योगेश कुमार शुक्ल, विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को सम्मिलित करते हुए गठित कमेटी की दिनांक 12.08.2016 को बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें आपत्ति प्रस्तुत करने वाले अभियन्ताओं को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।

4- सुनवाई के समय श्री राकेश कुमार जैन, श्री नन्दीश्वर जैन, श्री सैय्यद फिरोज अख्तर रिजवी, श्री रियाजुद्दीन, श्री कृष्ण चन्द्र तिवारी द्वारा विशेष रूप से यह आपत्तियाँ प्रस्तुत की गई कि वे शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28.07.2016 द्वारा निर्गत अनन्तिम

19/10/16

ज्येष्ठता सूची में अंकित अभियन्ताओं से पोषक संवर्ग की वरिष्ठता के अनुसार वरिष्ठ हैं, जबकि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उनसे कनिष्ठ अभियन्ताओं को उनसे ऊपर वरिष्ठता प्रदान की गई है।

5— श्री कमलेश्वर सिंह व अन्य, जिसमें निर्देश याचिका सं0—144/2013 के याची श्री सुमन कुमार उपाध्याय व अन्य भी सम्मिलित हैं, द्वारा अपने पत्र दिनांक 12.08.2016 में यह पक्ष प्रस्तुत किया गया है कि यदि मा0 अधिकरण के आदेश के अनुसार उन लोगों की कनिष्ठ की अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की तिथि 24.05.2012 से अधिशासी अभियन्ता के पद पर नोशनल पदोन्नति कर दी जाती है तो उन्हें शासन के आदेश दिनांक 13.02.2014 द्वारा जारी वरिष्ठता सूची पर कोई आपत्ति नहीं होगी। यह भी अनुरोध किया गया है कि अनन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 28.07.2016 के स्थान पर पुरानी सूची बहाल की जाए।

6— श्री सैय्यद फिरोज अख्तर रिजवी व अन्य द्वारा अपने पत्र दिनांक 12.08.2016 में सर्वसम्मत से यह सहमति दी गई है कि शासन के आदेश दिनांक 13.02.2014 द्वारा जारी ज्येष्ठता सूची दोनों पक्षों (याचीगण एवं प्रभावित पक्ष) को सर्वमान्य है तथा याचीगण की प्रोन्नति दिनांक 24.05.2012 से किया जाना नैसर्गिक न्याय संगत व नियम संगत है।

7— शासन के कार्यालय—ज्ञाप सं0—3328/सत्ताईस—1—2016—38/12, दिनांक 07 अक्टूबर, 2016 द्वारा याचीगण की अधिशासी अभियन्ता के पद पर कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि 24.05.2012 से नोशनल पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है।

8— अतः प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त कार्यालय ज्ञाप सं0—2642/सत्ताईस—1—2016—3 निया/13, दिनांक 28.07.2016 द्वारा प्रख्यापित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को निरस्त करते हुए कार्यालय—ज्ञाप सं0—942/सत्ताईस—1— 2014—324/2001, दिनांक 04.03.2014 तथा कार्यालय—ज्ञाप सं0—1998 /सत्ताईस—1—2014—324/2001, दिनांक 27.05.2014 द्वारा प्रख्यापित अन्तिम ज्येष्ठता सूची को एतद्द्वारा पूर्ववत बहाल किया जाता है।

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव।